


दिनांक		अभ्युक्ति
18/4/18 19/10/2020	<p>लम्बी अवधि के बाद अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>नोटिस तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबंदी रैयत/रैयत के वंशज न्यायालय में अनुपस्थित। इनके अनुपस्थिति से ऐसा प्रतित होता है कि इनके पास उपरोक्त भूमि से संबंधित कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं है।</p> <p>अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख अग्रोत्तर कारवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।</p> <p style="text-align: right;"> 19.10.2020</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी बलियापुर।</p>	